# वाममोर्चा का घोषणापत्र

## चुनाव की पृष्ठभूमि

● पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हम सभी जानते हैं कि विगत एक साल से अधिक समय से मानव सभ्यता कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्षरत है। सभी तरह की सावधानियों का पालन करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लड़ाई-संग्राम जारी है। इस परिस्थिति में आगामी २७ मार्च से २९ अप्रैल तक कुल आठ चरणों में चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव राज्यवासियों के लिए राज्य में जनतंत्र को पुन: बहाल करने का संघर्ष है। साथ ही कुशासन और अराजकता को खत्म करने का संग्राम है। विगत प्राय: दस सालों से इस राज्य में तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार ने भयानक रूप से संत्रास फैलाया है। तानाशाही तौर-तरीकों के आधार पर जनतंत्र का गला घोटा गया है। एक तरफ भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, सिंडीकेट का राज कायम हुआ है, दूसरी तरफ मजदूर-किसान-छात्र-युवा-महिलाओं पर घृणास्पद हमले हुए हैं। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और आदिवासी हिस्से के लोग भी आक्रांत हुए हैं। इस तरह की सर्वनाशी तृणमूली शासन को हटाने के उद्देश्य से इस विधानसभा चुनाव में आम जनता को पूरी ताकत लगानी होगी।

● केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरएसएस-भाजपा सरकार के कृषि कानून और प्रचलित श्रम कानून में सुधार इत्यादि सब कुछ कारपोरेट हित में पारित किये गये हैं। वह सरकार नव उदारनीति को पूरी तत्परता से लागू करना चाहती है। मजदूरों-किसानों सहित आम लोगों के जीवन कठिन से कठिनतर हो गये हैं। इस बीच दो लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। पूरे देश में भयावह बेरोजगारी है। जनता की क्रयक्षमता शोचनीय है। गरीबी बढ़ रही है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों की संपत्तियों में भयानक इजाफा हो रहा है। कोरोना महामारी में देश के प्राय: १५ करोड़ लोगों के रोजगार चले गये। गरीबी, अभाव, विषमता, भुखमरी काफी बढ़ गयी है और इसी बीच कोरोना के समय में देश के बड़े कारपोरेट समूहों की संपत्तियों में प्राय: १३ लाख करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। पेट्रोल-डीजल सहित सभी रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। विषमता पूरे देश में बढ़ी है। सरकारी अनुदान से कारपोरेट शक्तियां काफी मजबूत हुई हैं। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेशीकरण और निजीकरण बढ़े हैं। कारपोरेट हित की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकारी बैंकों को कमजोर बनाया गया है। 'मर्जर'यानी संयुक्तिकरण के चलते राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्याओं में कमी आयी है। कोलकाता में दो ऐसे बैंक थे, जिनके हेड आफिस यहीं थे, लेकिन मर्जर के चलते उनके दोनों आफिस यहां से हटा दिए गये। मजदूर-किसानों सहित सभी हिस्सों के लोग आक्रांत हैं। जनतंत्र और जनतांत्रिक अधिकार आक्रांत हैं। राष्ट्रीय शिक्षानीति के नाम पर शिक्षा अधिकार पर भयानक हमले शुरू हो चुके हैं। भाजपा और केंद्र सरकार की समालोचना का पर्याय मान लिया गया है। बुद्धिजीवी सहित अनेकानेक लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। यूएपीए और एनआईए सहित दानवीय कानूनों का इस्तेमाल करते हुए जनतांत्रिक आंदोलन को दबाया गया है। कारपोरेट के हित साधने

वाले भयानक कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के स्वत:स्फूर्त प्रतिवाद और प्रतिरोधी आंदोलन को दमित करने के लिए प्रशासन-पुलिस और गुंडों का इस्तेमाल किया गया।

● देश का संविधान आज आक्रांत है। भाजपा सरकार ने भारत की धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद पर हमले शुरू कर दिये हैं। नागरिकता निर्धारित करने के लिए भी धर्म को मानदंड बनाया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकार क्रमश: छीने जा रहे हैं। भारतीय समाज के सभी स्तरों पर आज सांप्रदायिकता का जहर फैल चुका है। शिक्षा-उद्योग-साहित्य-इतिहास सहित सभी क्षेत्रों में सांप्रदायिक दृष्टियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत की मर्मवस्तु को बदलने की कोशिश की जा रही है। दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े लोग हमलों के शिकार हो रहे हैं।

● राज्य की तृणमूल सरकार अपनी सुविधाओं के अनुसार सांप्रदायिक कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। राज्य में तृणमूल और भाजपा की मिलीभगत की राजनीति चल रही है। वे दोनों दल समझौते के आधार पर द्विदलीय राजनीति को इस राज्य में स्थापित करना चाहते हैं।

● पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था संगीन हो चुकी है। आय की अपेक्षा खर्च बेतहाशा बढ़ने लगा है। इसके चलते राज्य पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंस चुका है। कृषि क्षेत्र में भयानक संकट है। सन् २०१४ और सन् २०१७ में तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित राज्य सरकार ने किसानों सहित आम लोगों के खिलाफ कानून लागू किया। इस राज्य में किसानों की आत्महत्या हुई। नये उद्योग और औद्योगिक निवेश इस राज्य में प्राय: नहीं हुए। रोजगार की स्थिति काफी करुण है। सरकारी नौकरी की परीक्षा में भी भयानक भ्रष्टाचार है। शिक्षा और स्वास्थ्य की रूपरेखा बदतर हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में चरम अराजकता है। स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी है। प्रशासन की स्थिति आश्चर्यचकित करने वाली है। मस्तानी-तोलाबाजी-लूट-खसोट वर्तमान राज्य सरकार के आभूषण हैं। कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय है। महिला सुरक्षा भयानक तरह से टूट गयी है। जनतांत्रिक आंदोलन संग्राम पर पुलिस के बर्बर हमले जारी हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस ने बड़ी निर्ममता से आक्रमण किया, इसके चलते मइदुल इस्लाम मिद्या को शहादत देनी पड़ी।

● ऐसी परिस्थिति को बदलने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हराने के साथ-साथ भाजपा को रोकना होगा। वाम-जनतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के विकल्प को जयी बनाना होगा। वाम और सहयोगी, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट की एकता के आधार पर गठित संयुक्त मोर्चा को विजयी बनायें। आम जनता खुद की सरकार संयुक्त मोर्चा की सरकार बनायेगी। पश्चिम बंगाल और समग्र देश के हित में इस ऐतिहासिक कर्त्तव्य का निर्वाह करने के लिए आगे आयें।

## जनतंत्र को पुन: स्थापित करना

● हमारा लक्ष्य है जनतंत्र और कानून का शासन फिर सी स्थापित हो। सब को अपना विचार प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित हो। बहुदलीय जनतंत्र की परंपरा को मानकर

पुलिस और प्रशासन काम करे। राजनीतिक कारणों के चलते जो बंदी बनाये गये हैं, उन्हें मुक्त करना होगा। कार्यस्थल और निवासस्थान से जिन्हें भगा दिया गया है, उन्हें घर वापस लाना होगा। राज्य में सभी स्तरों पर चुनाव स्वस्थ और निर्बाध हो। विपक्षी राजनीतिक दलों को पूरी तरह से जनतांत्रिक अधिकार मिले। पुलिस और प्रशासन को निरपेक्षता के साथ काम करना होगा। समाजविरोधियों को कठिन से कठिन सजा देते हुए भयमुक्त जनतांत्रिक माहौल सुरक्षित करना होगा। महिला आयोग, लोकायुक्त, राज्य चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग और प्रेस कौंसिल, सूचना जानने के अधिकार संबंधित आयोग को पूरी मर्यादा देते हुए सभी जिलों में मानवाधिकार आयोग के दफ्तर खोले जायेंगे। सभी जिलों में लोकपाल के दफ्तर खोले जायेंगे। उनके कर्त्तव्य का पालन किया जायेगा। भाजपा सरकार जिन कानूनों का इस्तेमाल कुचलने के लिए कर रही है, उन कानूनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार की समालोचना करने पर सजा देने की कार्रवाई नहीं की जायेगी। लव जिहाद, गो-हत्या निषेध जैसे सुनियोजित विभाजनकारी कानूनों का प्रयोग पश्चिम बंगाल में नहीं किया जायेगा।

## धर्मनिरपेक्षता

● राज्य सरकार पूरी तन्मयता के साथ धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करेगी। सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया जायेगा। सरकार किसी धर्म की तरफ से हस्तक्षेप नहीं करेगी या धार्मिक आचार-आचरण में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी। सभी धर्म के संबंध में निरपेक्ष स्टैंड ग्रहण किया जायेगा। सभी तरह के सांप्रदायिकता और कट्टरपंथ के खिलाफ दृढ़ता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भाषागत अल्पसंख्यकों, मुस्लिम सहित सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य की संप्रीति परंपरा को पूरी तरह से स्थापित करना होगा।

## उद्योग

● सरकार का मुख्य लक्ष्य है- रोजगार के अवसर को बढ़ाना। उद्योग, कृषि, सहकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के विषयों को प्राथमिकता दी जायेगी। रोजगार के मुख्य लक्ष्य छोटे और मझोले उद्योग पर विशेष जोर देना होगा। सहकारिता, पंचायत-नगरपालिका के जरिये उद्योग लगाने पर जोर दिया जायेगा। सर्वांगीण और बहुमुखी नीतियों के आधार पर बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए सुनिश्चित और कारगर नीतियों को लागू किया जायेगा। इस संदर्भ में पिछली वाममोर्चा सरकार की सफलताओं के अनुभवों का विवेचन किया जायेगा। ज्ञान आधारित उद्योग के तौर पर सूचना और जैव प्रौद्योगिकी और कृषि आधारित उद्योग की सारी संभावनाओं का सही इस्तेमाल किया जायेगा। फूल, फल, सब्जी, मछली, दूध से बनी वस्तुओं के साथ-साथ कृषि पण्यों के अपचय को बंद करना होगा तथा प्रक्रियाकरण, संरक्षण और बाजार तक पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रयास करना होगा। आधुनिक परिवहन तथा बाजार की व्यवस्था को उन्नत करना होगा। कृषि आधारित उद्योग, लघु-कुटीर उद्योगों के अतिरिक्त इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकम, बिजली, सीमेंट, चमड़े, कपड़ा उद्योग स्थापित

करने की कोशिश की जायेगी। उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जायेगा। सुनिश्चित इलाकों में सहमति बनाकर पर्यावरण के संबंध में सोचकर जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा। अधिगृहीत जमीन के बदले उन सभी परिवारों को लाभजनक कीमतें दी जायेंगी, जिन परिवारों से जमीन ली जायेगी। इस संबंध में क्षतिग्रस्त परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति को प्रशिक्षण और रोजगार देने की पहल की जायेगी। गृह शिक्षकों के अधिकारों और समस्याओं पर विशेष नजर दी जायेगी।

## श्रम

● श्रम दफ्तर के कार्यों में और गति लाने पर जोर देना होगा। सभी तरह के विरोधों के संबंध में कारगर हस्तक्षेप किया जायेगा। बीड़ी निर्माण कर्मी, परिवहन मजदूर सहित असंगठित मजदूरों की मजूरी और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये हस्तक्षेप किया जायेगा। मजदूरों की न्यूनतम मजूरी मासिक इक्कीस हजार रुपये सुनिश्चित की जायेगी। बंद कल-कारखानों के मजदूरों को २५०० रुपये मासिक भत्ता दिया जायेगा। उनके लिए सस्ते दाम पर राशन देने की व्यवस्था की जायेगी। बंद चटकल, चाय बगान और अन्य बंद उद्योगों को फिर से खोलने के साथ-साथ मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने पर विशेष ध्यान देना होगा। चाय बगान के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जायेगी। श्रमजीवी लोगों को ट्रेड यूनियन करने का अधिकार दिया जायेगा। परियारी मजदूरों के लिए अलग से विभाग खोला जायेगा। सभी परियारी मजदूरों के लिए पंजीकरण करने की जो व्यवस्था की जायेगी, उसमें राज्य सरकार पूरी मदद करेगी।

## कृषि

● कृषि कानूनों के जरिये केंद्र सरकार ने कृषि और किसानों का सर्वनाश करते हुए कारपोरेटों के हित में काम शुरू किया है। केंद्र की तरह राज्य सरकार ने भी ए पी एस सी एक्ट में संशोधन कर निजी कारपोरेटों के हित की रक्षा करने की कोशिश की, उसकी यह कोशिश पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस राज्य में जिन्हें भूमि सुधार के जरिये जमीन मिली थी, उन्हें खदेड़ दिया गया। उन्हें फिर से जमीन का अधिकार देना होगा। खेती को लाभजनक बनाना होगा। स्वामिनाथन रिपोर्ट के अनुसार कृषि और किसानों के हित में राष्ट्रीय कृषि आयोग के निर्देशों को लागू करते हुए किसानों की आय बढ़ायी जायेगी तथा कृषि को मुनाफादायक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जयेगा तथा उसे प्राथमिकता दी जायेगी। कृषि क्षेत्र में विविधता लाने के लिए सरकार पहल करेगी। न्यूनतम सहायक मूल्यों को सुनिश्चित करना होगा। आलू जैसी फसल को एमएसपी के भीतर लाना होगा। मिनीकिट, खाद, सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था सरकार करेगी। भूमि सुधार के अधूरे काम (एक व्यक्ति, एक खतियान, भूमि कानून में शिथिलता और कानूनी जटिलता को दूर करते हुए भूमि बंटन तथा वर्गा रेकार्ड इत्यादि) को पूरा करना होगा। उत्पादनशीलता और उत्पादन वृद्धि में 'श्री' पद्धति के जरिये खेती पर जोर दिया जायेगा।

● सिंचाई इलाकों को और बढ़ाया जायेगा। बाढ़ रोकने और तिस्ता सिंचाई परियोजना सहित अधूरे सिंचाई प्रकल्पों को पूरा किया जायेगा। कृषि क्षेत्र में सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से अपरिकल्पित और अवैज्ञानिक तौर पर पानी नष्ट नहीं करने के कानून का पूरी दृढ़ता के साथ प्रयोग किया जायेगा। जल संरक्षण और व्यवहार पर विशेष जोर देना होगा। फसल उत्पादन की विविधता को उत्साहित करना होगा। पाट और आलू के बीज के संबंध में स्वावलम्बी होना होगा। इसके लिए प्रयास किया जायेगा। उत्पादित फसलों के लाभजनक मूल्यों की व्यवस्था की जायेगी। लगातार खेती तथा उत्पादन पद्धति को बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के साथ-साथ कृषि के लिए कर्ज देने की व्यवस्था की जायेगी। उद्यान चाष (सब्जी, फल और फूल) को उत्साहित करने के साथ-साथ बाजार के संबंध में आवश्यक सुधार किया जायेगा। जैव खाद के प्रयोग को उत्साहित किया जायेगा। सहकारिता के जरिये बीज, खाद, सिंचाई और फसलों को बाजार तक पहुंचाने की पहल की जायेगी। इस उद्देश्य से सहकारिता को फिर से जिंदा किया जायेगा, जिसे मुर्दा बना दिया गया है। पशुपालन और उससे जुड़े कार्यों पर खास जोर दिया जायेगा। पशुपालन को उत्साहित करने के उद्देश्य से महिला और जो व्यक्ति काम नहीं जानते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। आदिवासी इलाकों में सहकारिता के 'लैम्पों' को पुन: बहाल किया जायेगा तथा वन संपदाओं को संगृहीत करने पर जोर देना होगा। आदिवासियों को जंगल की जमीन देने के कार्यक्रम को पूरा किया जायेगा। जंगल की रक्षा के लिए रक्षा कमेटियों को फिर से बहाल किया जायेगा।

● प्राणी जगत में जीव विविधता को बरकरार रखते हुए शंकरायन को उत्साहित करते हुए मांस, डीम, दूध की मांगों को पूरा किया जायेगा। प्राणी संपदा की रक्षा करने के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर बंद पड़े पशु पालन चिकित्सा केंद्र को खोलते हुए चिकित्सा परिसेवा को पहुंचाने की कोशिश की जायेगी।

● मछली उत्पादन के संबंध में राज्य को स्वनिर्भर बनाया जायेगा और जो पहले सफलताएं थीं, उन्हें फिर से अर्जित की जायेगी। सरकारी जलाशयों, नहर-नालाओं, नदियों की मत्स्य सहकारिता को कम दाम पर फिर से लीज देने की व्यवस्था की जायेगी। उपकूल मछली पालन के लिए अनुदान दिया जायेगा। खास, आंशिक खास और सरकारी तौर पर व्यक्तिगत मालिकाना का जो सुधार किया गया है, ऐसी सहकारिताओं में समन्वय स्थापित करते हुए फसल उगाने की कोशिशों को बढ़ाया जायेगा। महिला स्वनिर्भर समूहों के जरिये सामूहिक खेती तथा सहकारी फसलों को उत्साहित किया जायेगा। इससे महिला सशक्तिकरण भी मजबूत होगा। अनाज सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए धान उपजाने वाले जमीन में और किसी तरह की फसल उगाने पर जोर नहीं दिया जायेगा।

## रोजगार

● इस राज्य में व्यापक स्तर पर युवक-युवतियों के पास रोजगार नहीं है। उद्योग, कृषि सहित अन्य परिसेवाओं में सरकार का यही लक्ष्य होगा कि अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो।

सभी खाली पदों को भरा जायेगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमित तौर पर परीक्षाएं होंगी। मेधा की सूची चिपकाने के साथ-साथ स्वच्छ पद्धति की गारंटी दी जायेगी। सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ स्वच्छ पद्धति के जरिये नियुक्ति पर जोर देना होगा। रोजगार लगाने के लिए नये-नये क्षेत्रों में पहल की जायेगी। १०० दिन के कार्यों के प्रकल्प को ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में लाने की कोशिश की जायेगी। १०० दिन के बदले १५० दिनों के काम और मजूरी को सुनिश्चित किया जायेगा। स्वनियुक्ति प्रकल्प के तहत सरकारी निवेश और पहल को बढ़ाया जायेगा। छोटे व्यापारियों के जीएसटी संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार विशेष सेल बनायेगी। सरकारी मदद से कर्ज देने की व्यवस्था की जायेगी। उत्पादन के साथ-साथ काम के आधार पर स्वनिर्भर समूहों को रोजगार के क्षेत्र में बदलने पर जोर दिया जायेगा। महिला स्वनिर्भर समूहों को कुटीर उद्योग के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। रोजगार के नये क्षेत्रों की संभावनाओं को सफल बनाने के लिए दो चक्के के ऐप, कैब और डेलिवरी के लिए कमर्शियल लाइसेंस दिया जायेगा।

## शिक्षा

● राज्य बजट का अंतत: २० प्रतिशत शिक्षा के लिए खर्च किया जायेगा। निरक्षरता दूर करने पर विशेष जोर देना होगा। आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई को नि:शुल्क और सरकार की तरफ से अनिवार्य बनाया जायेगा। माध्यमिक के समान बोर्ड उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की पारिवारिक आय के आधार पर आर्थिक सहायता दी जायेगी, ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों में फी को नियंत्रित करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठायेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो मस्तानराज कायम हो गया है, उसे खत्म किया जायेगा। विद्यालयों की संख्या और शिक्षकों की संख्या बढ़ानी होगी। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तरों तक फिर से जनतांत्रिक व्यवस्था बहाल की जायेगी। सीनेट, सिंडीकेट, प्रबंधन कमेटियों को मजबूत करना होगा। शिक्षण संस्थानों के स्वाधिकारों को सुरक्षित करना होगा। नियुक्ति की नीति स्वच्छ होगी। शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण, वाणिज्यीकरण और सांप्रदायिकीकरण को बंद कर दिया जायेगा। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति' २० इस राज्य में लागू नहीं किया जायेगा। विद्यालय की ड्रोप आउट संख्या में कमी लाने की भरसक कोशिश की जायेगी। उच्च शिक्षा में उत्कर्षता लाने पर लगातार जोर दिया जायेगा। भर्ती की पद्धति स्वच्छ होगी। गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों पर सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा। उन्नत स्तर की शिक्षा के लिए माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जायेगा। सभी स्तरों के शिक्षण संस्थानों के शून्य पदों को भरने पर जोर देना अत्यंत जरूरी है। जो नियुक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन लंबे समय से जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, उन्हें नियम के अनुसार नियुक्ति दी जायेगी। संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति को स्थगित नहीं रखा जा सकता है। मदरसा शिक्षा की परंपरा की रक्षा करते हुए उसे और सुसंगत, उन्नत,आधुनिक और प्रसारित करने पर जोर दिया जायेगा। अनुमोदित मदरसाओं को सरकारी अनुदान देना होगा। शिशु शिक्षा केंद्र, माध्यमिक शिक्षा केंद्रों तथा पार्श्व शिक्षकों के संबंध में

सही रवैय्या अपनाया जायेगा। पेशा आधारित शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा के ढांचे को और विस्तृत किया जायेगा। प्रत्येक ब्लॉक में आईटीआई, सभी जिलों में नर्सिंग स्कूल बनाने पर जोर दिया जायेगा। उपयोगी मानव संपदा के सृजन के लिए उपयुक्त शिक्षा देने की व्यवस्था शुरू की जायेगी। छात्र संसदों के चुनाव को नियमित तौर पर संगठित करने के लिए जनतांत्रिक पद्धति को प्रोत्साहित किया जायेगा।

## स्वास्थ्य

● जनस्वास्थ्य का संपूर्ण दायित्व सरकार को लेना होगा। नि:शुल्क सरकारी चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी। स्वास्थ्य कार्ड के साथ किसी तरह की भ्रांति नहीं रहेगी। प्रतिरोधात्मक व्यवस्था पर जोर देना होगा। शिशु मृत्यु और प्रसवकालीन मृत्यु की प्रतिशत में गिरावट लाने पर विशेष जोर दिया जायेगा। जन-स्वास्थ्य सचेतनता बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा। प्राथमिक स्तर से लेकर राज्य स्तर के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी महकुमाओं और ग्रामीण अस्पतलाओं की बुनियादी उन्नति की जायेगी। स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिये जन-आंदोलन खड़ा करना होगा। दवाओं की कीमत को नियंत्रित करने की कोशिश की जायेगी। सरकारी चिकित्सकों की नौकरी की जगह पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर गैर सरकारी निवेश पर सामाजिक नियंत्रण रखने की कोशिश की जायेगी। महामारी और रोग प्रतिरोध की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायेगी। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र को भी महत्त्व दिया जायेगा। कोविड परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये राज्य के स्वास्थ्य के ढांचे को दुरुस्त किया जायेगा तथा कमजोरी को दूर करने पर जोर दिया जायेगा। स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक और नर्सों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस परिस्थिति में काम करने की क्षमता बढ़ायेगी जायेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक संगठनों की भूमिका को उत्साहित किया जायेगा। विभिन्न तरह के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

## पुस्तकालय

● राज्य के पुस्तकालय को फिर से सचल किया जायेगा। छात्र-छात्राओं सहित आमलोगों की मांगों को पूरा करने की तरफ ध्यान दिया जायेगा तथा उन्मुक्त बुनियादी संरचना सहित पुस्तकालयों को उन्नत किया जायेगा। सरकारी पुस्तकालयों में जो शून्य पद हैं, उन्हें आवश्यकता के आधार पर पूरा किया जायेगा।

## सहकारिता

● सहकारिता व्यवस्था को पुन: मजबूत जनतांत्रिक आधार पर किया जायेगा। कृषि, उद्योग सहित आर्थिक क्षेत्र में सहकारिता व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। सहज किस्त के आधार पर कर्ज देने की व्यवस्था (गृह ऋण) और रोजमर्रा के पण्यों को बेचने के संदर्भ में सहकारिता के जरिये मदद ली जायेगी। रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से सहकारिता व्यवस्था के जरिये विशेष भूमिका अदा की जायेगी।

## पंचायत

● त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जायेगा। पंचायत को जनतांत्रिक व्यवस्था में लाना ही होगा। पंचायत की कार्यधारा में ग्रामीण जनता को विशेष स्थान दिया जायेगा। गरीबों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा। ग्राम संसद की बैठक नियमित होगी। सभी ग्रामवासियों के पास पंचायत के कार्य और खर्च के हिसाब को पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी। ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने पर विशेष जोर देना होगा। नौकरशाह पर जो निर्भरशीलता है उसे खत्म करके पंचायत को ग्राम सरकार के रूप में बदला जायेगा। पंचायत सभी ग्रामवासियों के लिये होगी। इस पर किसी राजनीतिक दल का अकेला वर्चस्व नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में कृषि, सड़क, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति पर पंचायत विशेष नजर रखेगी। भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार खत्म किया जायेगा। राजनीतिक कारणों से वंचना और असहयोगिता को खत्म किया जायेगा। समय के साथ सामंजस्य की रक्षा करते हुए ग्रामीण ढांचों को उन्नत किया जायेगा।

## अल्पसंख्यकों का विकास

● आर्थिक-सामाजिक विकास के उद्देश्य से अल्पसंख्यक मुस्लिम संप्रदाय के लिये शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि में बढ़ोत्तरी की जायेगी। इस समाज के लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जायेगा। इस समाज के लोगों के अधिकारों और सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष जोर देना होगा। अल्पसंख्यक और अन्य समुदायों की सुरक्षा, अधिकार और विकास के सवालों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।

## पिछड़े समुदाय

● अनुसूचित जाति, आदिवासी और ओबीसी संप्रदाय के लोगों को विशेष संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है उसकी रक्षा की जायेगी। आरक्षण की नीति को माना जायेगा। आर्थिक-सामाजिक विकास के उद्देश्य से शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि को और प्रसारित किया जायेगा। इस हिस्से के लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा। आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को होस्टल की सुविधा जो दी जा रही है उसे और प्रसारित किया जायेगा। विकलांगों को न्याय संगत अधिकार दिया जायेगा। उनकी अक्षमताओं को चिह्नित किया जायेगा तथा प्रमाण-पत्र देने के लिये शिविर संगठित किया जायेगा। उनके लिये जो भत्ते दिये जा रहे हैं उसके परिमाण में वृद्धि की जायेगी और संख्या भी बढ़ायी जायेगी। अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।

## महिला-शिशु-बुजुर्ग

● नारी समाज की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। नारी और शिशु निर्यातन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। काम और मजदूरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लिंग विषमता को दूर करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किये जायेंगे। महिला और शिशु कल्याण के उद्देश्य से आईसीडीएस के कार्यक्रमों को और उन्नत किया जायेगा। बच्चों के विकास और उनके अधिकारों के विषयों

पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उपर्युक्त प्रशिक्षण देने के लिये महिलाओं के स्वनिर्भर समूहों को और जीवंत बनाया जायेगा तथा उनकी कार्य तत्परता को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। कार्यरत महिलाओं के लिये होस्टलों की संख्या बढ़ानी होगी। महिलाओं के लिये आर्थिक स्वाधीनता उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। शिशु और नारी तस्करी को रोकना होगा। महिला पुलिस की संख्या बढ़ायी जायेगी। पारिवारिक और सामाजिक अत्याचार से पीड़ित निस्सहाय महिलाओं की रक्षा के प्रति विशेष नजर देनी होगी। भ्रूण हत्या बंद करने के लिये सरकारी पहल की जायेगी। असहाय वृद्ध और वृद्धाओं के लिये सहायता देने की व्यवस्था की जायेगी। वृद्धा पेंशन का परिमाण बढ़ाना होगा तथा जिन्हें वृद्धा पेंशन मिलती है उनकी संख्या भी बढ़ानी होगी।

## ]उत्तर बंग सहित विशेष आंचलिक विकास

● पहाड़ सहित उत्तर बंग के विकास के साथ-साथ पश्चिमांचल, खास कर जंगलमहल और सुंदरवन के इलाकों की उन्नति जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा। उद्योग बहुल जिलों, बुनियादी संरचना के विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास के सभी सवालों पर ध्यान देना होगा। सभी जातियों की विशिष्टताओं, संस्कृति की सुरक्षा के साथ-साथ विकास पर जोर दिया जायेगा। उनके अधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों के सर्वोच्च स्वायत शासन के साथ-साथ स्वायत शासी संस्थाओं को उपयुक्त मर्यादा दी जायेगी।

## न्यायिक व्यवस्था

● गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिये 'लीगल एड' को और मजबूत करना होगा। न्यायालय खासकर लोअर कोर्ट में मातृभाषा के व्यवहार पर सरकार ध्यान देगी।

## शहरीकरण

● शहरीकरण हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। पौरसभा की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक क्षमता में अभिवृद्धि हेतु प्रयास करने होंगे। गरीब और मध्यवर्ग के लोगों के आवासों के लिये सरकारी सहायता बढ़ायी जायेगी। परिवहन व्यवस्था की उन्नति के लिये सड़क एवं पुल निर्माण के कार्यक्रमों को तेज करना होगा; साथ ही साथ इस दिशा में नयी परियोजनाओं को भी शुरू करना होगा। जन यातायात के किराये हेतु अस्थाई कमेटी का गठन करना होगा।

## बस्तियों का विकास

● देश एवं राज्य की आर्थिक परिस्थिति के कारण गरीबों की संख्या बढ़ गयी है, बस्तियों की संख्या बढ़ गयी है। शहरों की बस्तियों के लोगों को रहने की व्यवस्था ना देते हुए उन्हें हटाना नहीं चलेगा। २० सालों से अधिक एक स्थान पर रहने वाले लोगों को उसी स्थान के लिए ९९ साल का लीज देना होगा। केंद्रीय सरकार के जमीन को अनुमोदित करते हुए कानूनी लीज दिया जायेगा। बस्ती इलाके में सुविधायें उपलब्ध करानी होगी। सभी बस्ती इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा

देने वाली सरकारी व निजी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना होगा।

## खाद्य

● खाद्य सुरक्षा के लिये विशेष महत्त्व दिया जायेगा। जनवितरण प्रणाली को और दुरुस्त किया जायेगा। गरीबों के लिये दो रुपये प्रति किलो की दर से महीने में ३५ किलो चावल और गेहूं मुहैय्या कराना होगा। दाल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं राज्य की तुलना में कम कीमत में उपलब्ध कराया जायेगा। भुखमरी को समाप्त करना होगा। सभी को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया जायेगा।

## संस्कृति

● अपसंस्कृति के विरोध में परिष्कृत संस्कृति नीति की घोषणा की जायेगी। संस्कृति जगत को सरकार के हाथों से मुक्त किया जायेगा। साहित्य, संगीत, चित्रकला, नाटक, चलचित्र, लोक साहित्य सहित समस्त क्षेत्रों में बहुलतावाद को शामिल किया जायेगा। संस्कृति के क्षेत्र में उद्भावना और सृजन को प्रोत्साहित किया जायेगा। सरकार की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच निर्माण, मेला, प्रदर्शनी इत्यादि के संगठन में महत्त्वपूर्ण दायित्व का पालन किया जायेगा। लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिये विशेष कोशिश की जायेगी। असहाय कलाकारों के साथ सरकार खड़ी रहेगी।

## क्रीड़ा

● क्रीड़ा में हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। राज्य, जिला, महकुमा, ब्लॉक और नगरपालिका इलाकों में क्रीड़ा के लिये सरकार विशेष तौर पर बुनियादी संरचना बनाने पर जोर देगी। विद्यालय, क्लब और अन्य संस्थाओं को शामिल करके क्रीडा नीति के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी।

## परिवेश

● परिवेश और जैव-विविधता की रक्षा के लिए जोरदार पहल की जायेगी। जलाशय और पानी से भरी जमीन को बचाने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। जंगल की जमीन बचाने के साथ-साथ उसको विस्तृत करना होगा। इकॉलाजी यानी जीव-जन्तु, पक्षियों-कीट-पतंगों को बचाने के लिए परियोजना बनायी जायेगी। कल-कारखानों, स्वास्थ्य केंद्रों से जो कूड़ा निकलता है, उसको नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था की जायेगी। गाड़ियों के चलने के चलते जो प्रदूषण होता है, उसे भी नियंत्रण में रखा जायेगा। परिवेश और स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक नुकसानदेह है। प्लास्टिक के बैग का कम इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए जन चेतना बढ़ाने की कोशिश की जायेगी। शहरी इलाकों में ऊंची इमारतों के संदर्भ में सौर ऊर्जा का व्यवहार हो; इस पर ध्यान देना होगा। वर्षा के पानी को बचाने पर जोर दिया जायेगा। सामाजिक वन-सृजन को विशेषतौर पर उत्साहित किया जाए। जल और वायु दूषण, शब्द और दृश्य दूषण के खिलाफ कारगर कार्रवाई की जायेगी। नगरों में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए खास कार्रवाई की जायेगी। परिवेश की रक्षा के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों में आम जनता को जोड़ा जा रहा है।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी

● विज्ञान चर्चा को प्रसारित करने पर विशेष जोर देना होगा। वैज्ञानिक और प्रौद्यौगिकी अनुसंधान के संदर्भ में गति लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। ग्रामीण इलाकों में कृषि और सिंचाई उन्नयन तथा बाढ़ रोकने, नदी कटाव को रोकने के लिए स्वनिर्भर प्रौद्योगिक उद्भावना पर जोर दिया जायेगा। समाज के सभी स्तरों पर खासकर युवाओं के बीच वैज्ञानिक मनोभाव पैदा करने पर विशेष जोर देना होगा।

## बिजली

● बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए सुनियोजित पहल की जायेगी। ताप विद्युत के साथ-साथ सौर विद्युत, जलविद्युत, वायु के जरिये बिजली सहित विभिन्न तरह से अप्रचलित विद्युत उत्पादन को तेज किया जायेगा। बिजली परिसेवा को विस्तृत करने के लिए खासकर ग्राम, दुर्गम और पिछड़े इलाकों पर विशेष जोर देना होगा। गरीब लोगों के लिए बिजली की कीमत पर आवश्यक छूट दी जायेगी। १०० यूनिट तक गृहस्थ ग्राहकों को मुफ्त में बिजली दी जायेगी और २०० यूनिट तक खर्च करने वाले ग्राहकों को अनुदान पर बिजली दी जायेगी। ग्रामीण इलाकों में कृषि काम के लिए सस्ते दाम पर बिजली की आपूर्ति की जायेगी। अस्वाभाविक बिजली बिल बंद करना होगा।

## पर्यटन

● राज्य के पर्यटन केंद्र की तरफ पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया जायेगा। निम्नवित्त और मध्यवित्त लोगों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन केंद्र के ढांचों को उन्नत किया जायेगा। पर्यटन उद्योग के जरिये आर्थिक उन्नयन और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा।

## राज्य प्रशासन

● राज्य प्रशासन को जिम्मेदार और संवेदनशील बनाना होगा। प्रशासन के भीतर अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करना होगा। सरकारी सेवाओं का प्रयोग बढ़ाने के साथ-साथ उसके स्तरों को उन्नत करना पड़ेगा। वर्तमान में राज्य सरकार ने जिस तरह से भयानक आर्थिक अराजकता पैदा की है, उससे बाहर निकलने के लिए आवश्यक नीति निर्धारित करनी होगी। सरकारी नौकरी के संबंध में सारी नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये की जायेंगी। सरकारी कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया जायेगा। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जायेगा। शिक्षा के साथ जुड़े अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जायेगा। बकाया महंगाई भत्ता से संबंधित समस्याओं को मिटाने का प्रयास किया जायेगा। प्रशासन के सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जायेगा। सरकार में कार्यरत प्रमाणित अपराधियों को सजा दिलाने की गति तेज करनी होगी। सभी तरह की आत्मनिर्भरता और लोगों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार को बंद किया जायेगा।

## परियोजना

● परियोजना परिषद को और कारगर बनाना होगा। इससे समाज के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को जोड़ा जायेगा। विकेंद्रीकृत परियोजनाओं पर जोर देना होगा। दफ्तरों के बीच, अग्रसर और पिछड़े इलाकों की पिछड़ी जनजातियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए उन्नयन की परियोजनाएं बनानी होंगी। पिछड़े इलाकों की अग्रगति के लिए पहल करनी होगी। जिला परियोजना कमेटी, कलकत्ता और मेट्रोपालिटन परियोजना कमेटियों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए पहल सुनिश्चित की जायेगी।

## चिटफंड

● इस राज्य में गैरकानूनी चिटफंडों की आवाजाही को कानून और प्रशासन के जरिये रोका जायेगा, इसके लिए सारी शक्तियों का उपयोग किया जायेगा। गैरकानूनी अर्थ लूटने वाले चिटफंड के सरगनों और उनके सहयोगियों को जल्दी से जल्दी सजा देनी होगी। जनता के पैसों को जनता के हाथ वापस दिलाने की सारी कोशिशें की जायेंगी।

## केंद्र-राज्य का संबंध

● केंद्र की जनविरोधी नीतियों और भ्रष्टाचारों के खिलाफ संग्राम किया जायेगा। राज्यों के संवैधानिक अधिकार छीनने का प्रतिवाद करने के लिए राज्य सरकार हमेशा मुखर रहेगी। राज्य के न्यायसंगत मांगों के लिए राज्यवासियों को शामिल कर संग्राम करना होगा। केंद्र के जमा कुल राजस्व का ५० प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देना होगा। जीएसटी के खाती राज्य का जो प्राप्य है, उसमें किसी तरह टालमटोल नहीं चलेगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण अमानत का अनुपात बढ़ाने के लिए आंदोलन किया जायेगा। राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत संस्थाओं को बंद या निजीकरण करने नहीं दिया जायेगा। गंगा और पद्मा कटाव को रोकने, सुन्दरवन समुद्र तटवर्ती इलाकों को रोकने और परिवेश की रक्षा, कोलकाता-हल्दिया बंदरगाह का सौंदर्यीकरण करने, दार्जिलिंग के पर्वतीय इलाकों में पूंजी निवेश करने के लिए केंद्र अनुदान दे, इसके लिए राज्य सरकार काफी प्रयास करेगी।

● इस राज्य में नागरिकता संशोधनी कानून और एनआरसी चालू नहीं किया जायेगा। शरणार्थियों के पुनर्वासन और १९७१ के बाद आने वाले नागरिकों को पुनर्वासन देने जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्य के शरणार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र से सहायता फिर से मांगी जायेगी। बस्ती उन्नयन और गरीब प्रांतिक लोगों के उन्नयन के लिए केंद्र से सहायता बढ़ाने की मांग की जायेगी।

## हमारी अपील

● पश्चिम बंगाल को अराजकता और कुशासन से मुक्त करने के लिए तथा राज्य में जनतंत्र को फिर से बहाल करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को परास्त करना होगा। जनता के चरमतम शत्रु, सांप्रदायिक और विभाजनकारी भाजपा को सर्वशक्ति के जरिये रोकना होगा और परास्त करना होगा। फासिस्टधर्मी आरएसएस और भाजपा की चालिका शक्तियां पूरे देश में हिंसा और असहिष्णुता बढ़ा रही हैं। राज्य की सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा

को भयानक रूप से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ध्वस्त कर रही हैं। बंगाल की परंपरा की रक्षा करने के लिए तृणमूल और भाजपा को परास्त करना ही होगा। साथ ही, तृणमूल और भाजपा को परास्त किये बिना राज्य के लोगों के हित की रक्षा नहीं हो सकती है।

● तृणमूल और भाजपा के बीच लंबे समय से समझौतापरस्त राजनीति चल रही है। इसलिए सीबीआई, यूडी की जांच नहीं होती है। राज्यसभा में जनविरोधी बिल पारित करने के लिए तृणमूल पूरी तरह से भाजपा की मदद करती है और यही कारण है कि भाजपा सरकार को इसमें किसी तरह की समस्याएं नहीं होती हैं। बार-बार सांप्रदायिक और जनविरोधी भाजपा के साथ तृणमूल ने हाथ मिलाया है। कभी भी उसके साथ तृणमूल हाथ मिला सकती है। घटनाओं ने यह प्रमाणित किया है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी आवश्यकता के अनुसार सांप्रदायिक राजनीति का आश्रय लिया है।

● पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में हमारा प्रमुख कर्त्तव्य है जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और जनता के अस्तित्व, रोजी-रोटी के संघर्ष को जोरदार करने के लिए तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को हराना। इसी उद्देश्य से हम सभी जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को समवेत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए वाममोर्चा और उसकी सहयोगी दलों, राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ समझौता के जरिये एकजुटता कायम करते हुए राज्यवासियों के हित की रक्षा करने के लिए हमने विकल्प उपस्थित किया है। जनता की व्यापक एकजुटता उपस्थित किया है। जनता की व्यापक एकता और सक्रिय भूमिका के जरिये ही तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को परास्त कर विकल्प सरकार बनेगी।

## वाम, जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष विकल्प

(१) जनतंत्र को फिर से बहाल किया जायेगा तथा विपक्ष को अपना विचार व्यक्त करने के अधिकार को सुनिश्चित किया जायेगा। सभी राजनीतिक बंदियों को अतिशीघ्र रिहा किया जायेगा। धर्मनिरपेक्षता की नीति को पूरी तरह से लागू किया जायेगा। प्रतियोगिता मूलक सांप्रदायिकता नहीं, शांति-संप्रीति और स्थायित्व चाहिए।

(२) एक साल के भीतर सरकारी-अर्द्ध-सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक-शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति और अन्य संस्थानों के सभी खाली पदों को पूरा किया जायेगा। सभी नियुक्तियां नियमानुसार होंगी। मेधा के आधार पर नियुक्तियां होंगी।

(३) बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वनिर्भर बनाने पर जोर देना होगा। स्वनिर्भर रोजगार प्रकल्प को फिर से शक्तिशाली बनाया जायेगा।

(४) रोजगार के मुख्य तीन क्षेत्र कृषि, उद्योग और परिसेवा के कार्यों को व्यापक स्तर पर बढ़ाया जायेगा।

(५) लघु, कुटीर और मझोले उद्योग को पुनरुज्जीवित किया जायेगा। सरल रूप से कर्ज देने की कोशिश की जायेगी।

(६) खेती पर खर्च कम किया जायेगा। किसानों की फसलों का उचित दाम दिया

जायेगा। खेती को लाभजनक करने के लिए सरकार की तरफ से मिनीकिट, खाद और सिंचाई की व्यवस्था को प्रसारित किया जायेगा। कृषि पण्यों की खरिदारी के लिए सहकारिता संस्थाओं को पुनरुज्जीवित किया जायेगा। किसानों के लिए सिर्फ एक समय के लिए कर्ज माफ नहीं किया जायेगा। फसलों का डेढ़ गुणा दाम सुनिश्चित किया जायेगा, लघु, प्रांतिक और मझोले किसानों से सरकार आवश्यकता के अनुसार फसल खरीदेगी।

(७) राज्य में एपीएमसी एक्ट कानून खारिज किया जायेगा, क्योंकि इसने किसानों को केंद्र के कृषि कानूनों की तरफ धकेल दिया है। केंद्र के तीन कृषि कानून राज्य में लागू नहीं होगा।

(८) भूमि सुधार के जरिये जिन गरीब किसानों को जमीन मिली है और उन्हें उस जमीन से खदेड़ दिया गया है, उन्हें फिर से वह जमीन वापस दिलाने की व्यवस्था की जायेगी।

(९) मनरेगा एक सौ दिन नहीं, अब १५० दिनों का होगा। इसे शहरी इलाकों में प्रसारित किया जायेगा।

(१०) त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जनतंत्र को वापस लाने तथा पंचायत व्यवस्था में ग्रामीण लोगों खासकर गरीब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

(११) मजदूरों की न्यूनतम मजूरी महीने में २१००० रुपये दी जायेगी। प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से विभाग खोला जायेगा। विशेष सुरक्षा प्रकल्प बनाया जायेगा। बंद करखानों के मजदूरों को २५०० रुपये मासिक भत्ता दिया जायेगा और सस्ते दाम पर राशन दिया जायेगा। बंद चटकल, चाय बागानों और बंद उद्योग के मजदूरों के लिए यह कार्यक्रम किया जायेगा। सभी तरह के असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित तथा संप्रसारित किया जायेगा। सरकारी प्रकल्पों में कार्यरत अस्थायी मजदूरों को सुनिश्चित वैतनिक ढांचे और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी आईसीडीएस, आशा, मिड-डे मील सहित प्रकल्प कर्मियों को सम्मानित भत्ता देने और काम करने की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा।

(१२) खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। सार्वजनिक राशनिंग व्यवस्था; गरीबों के लिए दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और आटा प्रति महीने ३५ किलोग्राम दिया जायेगा। रोजमर्रा की वस्तु बाजार से कम दाम पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। सबके लिए विशुद्ध पीने का पानी उपलब्ध किया जायेगा।

(१३) छोटे और मझोले उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। बड़े उद्योग बनाने की पहल की जायेगी। सूचना, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाओं को हकीकत में बदला जायेगा। कृषि आधारित उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग सहित इस्पात, ऑटोमोबाईल, पेट्रोकेम, बिजली, सीमेंट, चमड़ा, कपड़ा उद्योग लगाने की कोशिश की जायेगी।

(१४) सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में नि:शुल्क चिकित्सा करने की व्यवस्था की जायेगी। सरकार को जन स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। महामारी और रोगों के रोकथाम का जिम्मा लेना होगा। दवाओं की कीमतों को यथासंभव नियंत्रित किया जायेगा।

(१५) बिजली के उत्पादन में वृद्धि की जायेगी। गरीब लोगों के लिए बिजली की कीमत पर अनुदान देने की व्यवस्था की जायेगी।

(१६) शिक्षा क्षेत्र में बजट का कम से कम २० प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान किया जायेगा। निरक्षरता पूरी तरह से खत्म किया जायेगा। शिक्षण संस्थाओं में जनतंत्र वापस लाया जायेगा। शिक्षा का निजीकरण, वाणिज्यीकरण और सांप्रदायिकीकरण बंद करना होगा। भर्ती की पद्धति को स्वच्छ करना होगा। शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जायेगा, स्वच्छता बरकरार रखते हुए शिक्षण संस्थाओं का खाली पद भरा जायेगा (प्राईमरी, अपर प्राईमरी, एसएलटीएमटी, वर्क एडुकेशन, फिजिकल एडुकेशन सहित) मदरसा शिक्षक को और सुसंहत किया जायेगा, उसे उन्नत और प्रसारित किया जायेगा। पेशामूलक, रोजगारमुखी शिक्षा पर जोर दिया जायेगा। विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान पर जोर देना होगा। सभी अस्थायी शिक्षकों के प्रति बेहतर दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। छात्र संसदों का नियमित तौर पर जनतांत्रिक पद्धति से चुनाव किया जायेगा।

(१७) स्वस्थ संस्कृति को प्रसारित करने की पहल की जायेगी। सृजनशीलता और उद्भावना को प्रसारित करना होगा।

(१८) क्रीड़ा के प्रति सरकार की तरफ से खास नजर दी जायेगी। क्रीड़ा के साथ साथ स्वास्थ्य चर्चा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(१९) समान काम के लिए समान मजदूरी दी जायेगी। महिला उत्पीड़न, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शहरों में वार्डों या बोरो स्तर पर, गांवों में ब्लॉक स्तर पर विशेष सहायता केंद्र बनाया जायेगा। तृतीय लिंग (LGBTQIA+) के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी।

(२०) शारीरिक तौर पर विकलांगों के हित में आरपीडी एक्ट-१६ और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानून-१७ को लागू किया जायेगा। विकलांगों को शिक्षा की परिधि में लाने की कोशिश की जायेगी। उन्हें पेशामूलक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। सभी को एक साल के भीतर अनुशंसा पत्र भी दिया जायेगा। मासिक भत्ता एक हजार रुपये के बदले दो हजार रुपये दिया जायेगा।

(२१) संपदाओं के आबंटन के लिए जो स्टेट फिनांस कमीशन था, उसे फिर से पुनरुज्जीवित किया जायेगा। राज्य सरकार की पहल पर खुद का बैंक बनाया जायेगा। संपदाओं का विकेंद्रीकरण किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित बीमार संस्थाओं को पुनरुज्जीवित करने की विशेष पहल की जायेगी।

(२२) सहकारिता का प्रसार किया जायेगा। सहकारिता के समानों की आन लाईन बिक्री

की जायेगी। स्वनिर्भर समूहों को उत्साहित किया जायेगा।

(२३) परिकल्पना परिषद को कार्यांवित किया जायेगा। प्रशासन में बंगला भाषा के प्रयोग को बढ़ाने के साथ-साथ हिंदी, नेपाली, उर्दू, संथाली भाषाओं की मर्यादा बकरार रहेगी, राजवंशी-कुरुक-कुर्मी सहित पिछड़े समुदायों की भाषाओं-संस्कृतियों, आर्थिक-सामाजिक उन्नयन को प्राथमिकता दी जायेगी। उत्तरबंगाल और जंगलमहल और राज्य के पश्चिमांचल के आर्थिक-सामाजिक उन्नयन विषय को खास महत्त्व दिया जायेगा। राज्य में बस्ती उन्नयन पर भी ध्यान देना होगा।

(२४) गैर कानूनी चिटफंड के वर्चस्व को रोकना होगा। चिटफंड के मालिकों और उनके सहयोगियों को जल्द से जल्द सजा देनी होगी। जनता के पैसों को जनता के हाथों वापस करना होगा।

(२५) केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और भ्रष्टाचारों के खिलाफ संघर्ष जारी रखना होगा। राज्यों के संवैधानिक अधिकार छीनने के विरुद्ध राज्य सरकार पूरी सतर्क रहेगी-सीएए, एनआरसी और एनपीआरए जैसी विषमतामूलक नागरिकता की अवधारणा को लागू नहीं किया जायेगा। केंद्र के कुल राजस्व का ५० प्रतिशत हिस्सा राज्य को दिया जायेगा। जीएसटी का जो हिस्सा राज्य को मिलना चाहिए, वह हिस्सा केंद्र सरकार को तुरंत देना होगा। नदी कटाव, बंदरगाहों का सौंदर्यीकरण, दार्जिलिंग के पर्वतीय इलाकों में पूंजी के निवेश के लिए केंद्र सरकार को अनुदान देना होगा-शरणार्थियों के पुनर्वासन के लिए केंद्र से मदद की मांग की जायेगी।

**विमान बसु**
अध्यक्ष, वाममोर्चा कमेटी, पश्चिम बंगाल

**सूर्यकांत मिश्र**
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

**स्वप्न बनर्जी**
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी

**नरेन चटर्जी**
अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लॉक

**विश्वनाथ चौधुरी**
विप्लवी समाजवादी दल

**सुभाष राय**
आरसीपीआई

**जयहिंद सिंह**
मार्क्सवादी फारवर्ड ब्लॉक

**शैवाल चटर्जी**
वर्कर्स पार्टी

**प्रवीर घोष**
वलशेविक पार्टी